



HAMIRPUR POLICE

दि० 23.05.2023



“प्रभावी पैरवी कर 06 अभियुक्तों को अधिकतम 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 5,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई”

आज दिनांक:- 23.05.2023 को F.T.C. - II कोर्ट द्वारा नामजद 07 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ०सं० 74/2007 धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के नामजद अभियुक्तगण 1. हनीफ उर्फ गनी पुत्र अब्दुल निवासी कपरिया मुहल्ला थाना सुमेरपुर, 2. पीर अली पुत्र रज्जाक अली उर्फ राज वली निवासी पलहरी थाना- नरैनी बोंदा, 3. कमरुद्दीन उर्फ कमाल पुत्र मैइयादीन निवासी चन्द्र कुरवा थाना- सुमेरपुर, 4. रमजानी पुत्र नत्थू निवासी स्टेशन रोड मौदहा हमीरपुर, 5. मुस्लिम पुत्र मझले निवासी लल्लु पुर्वा, नउअन पुरवा थाना घाटमपुर, कानपुर 6. लाला पुत्र सत्तार निवासी नेढ़ा थाना- चोंदपुर जनपद- फतेहपुर, को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष के कारावास व एवं प्रत्येक को 5,000 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



**एडीजीसी
सुशील कुमार**



**कांस्टेबल
जगत सिंह**

अभियुक्त को सजा दिलाने में प्रभारी निरीक्षक सुमेरपुर- राम आसरे सरोज, एडीजीसी सुशील कुमार, पैरोकार मौदहा- का० जगत सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।